[श्री लालू प्रसाद]

[हिन्दी]

अब करेक्ट हुआ या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनो हो सकती है।

[ग्रथांलाय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8161/2008]

अपराह्न 12.12 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति को उनके प्रेरणाप्रद अभिभाषण के लिए इस सम्मानित सभा के सदस्यों के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अपने गणराज्य के 60वें वर्ष में देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अत्यंत प्रतिष्ठित महिला का स्थान प्रापत करना हमारे लिए गर्व का विषय है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका प्रेरणादायक अभिभाषण सुनने का अवसर मिला।

महोदय, यह भी संतोष की बात है कि गत तीन दिनों तक हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल किए गए विभिन्न मुद्दों पर रोचक चर्चा की। कुछ माननीय सदस्यों ने कई मोर्चों पर सरकार के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया जबकि अन्य कई सदस्यों ने कुछ विषयों के संदर्भ में हमारे दोष ढूंढने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यही लोकतंत्र का सार भी है। जहां तक लोकतंत्र की बात है इसमें वाद-विवाद, तक-वितर्क और रचनात्मक आलोचना तो होती ही है। साथ ही लोकतंत्र में दृष्टिकोणों की भिन्नता, मतविभेद और विभिन्नता के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना और असहमत होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना शामिल है। गत दिनों की चर्चा संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं का एक भाग है। यही बात हमारे देश को अद्वितीय बनाती है और मैं अपने सामूहिक भविष्य के प्रति आशान्वित हो जाता हू। मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार और वाद-विवाद करते रहेंगे और इसमें कम-से-कम व्यवधान की गुंजाइश रखेंगे जो कि हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक दुखद पहलू बन गया है।

महोदय, इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे इस बात पर अत्यधिक संतोष हुआ कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिस समावेशी विकास की परिकल्पना की गई थी उसके संबंध में सभा के दोनों पक्षों में पूर्ण सहमति है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हमारे देश के लाखों लोगों में व्याप्त अत्यधिक गरीबी, अज्ञान और रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है। हमारी वृद्धि दर ने हमें दुनिया की तेजी से विकसित होने वाली कुछ अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष ला खड़ा किया है, यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

महोदय, समावेशी वृद्धि हेतु विकास एक आवश्यक शर्त है। परंतु हमने हमेशा देखा है कि केवल विकास से ही इतनें अधिक परिमाण में व्याप्त गरीबी से तब तक छुटकारा नहीं पाया जा सकता जब तक हमारे समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों को सशक्त बनाने हेतु नीतियां न हों। माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस परिकल्पना का भी उल्लेख है जिसने गत चार वर्षों से हमारी सरकार के काम-काज का मार्ग प्रशस्त किया है।

वह परिकल्पना क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें ठोस और सतत् विकास की आवश्यकता है। रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए विकास जरूरी है और साथ ही कुछ ऐसे ठोस, पुनरूत्थान संबंधी विकास कार्य करने होंगे जिनसे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके और हम सामाजिक सर्व-उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना को सुधारने में अधिकाधिक धन खर्च कर सकें। गत चार वर्षों के दौरान रिकार्ड वृद्धि दर देखी गयी है और यह एक संतोषजनक का बात है।

परंतु हमारी सरकार यह समझती है कि हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि विकास से इसके लाभों का स्वयं ही समान वितरण हो जाएगा। अत: किसी भी लोकप्रिय सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें और समाज के निर्धनतम तबकों को सक्षम बनाए ताकि विकास की प्रक्रियाओं में वे भी सक्रिय भागीदार बन सकें। हमने ठीक यही किया है।

सर्वप्रथम, सभा के दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि कृषि में मजबूती से विकास होना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना

होगा कि हमारे किसानों, विशेषत: लघु एवं सीमान्त किसानों, को लाभप्रद मूल्य मिल सके, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और वे कृषि विकास की प्रक्रिया के साझीदार बन सकें।

सभा के दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि एक ऐसे देश में जहां 90 प्रतिशत जनता असंगठित क्षेत्र में जीवन-यापन कर रही है और जहां सामाजिक सुरक्षा संबंधी संस्थाएं अपर्याप्त हैं, हमें कीमतों पर समुचित नियंत्रण बनाए रखना होगा क्योंकि मुद्रास्फीति एक ऐसा कर है जिससे अमीरों की तुलना में गरीबों को ज्यादा कष्ट होता है। इस बात पर हम सभी सहमत हैं।

पुन: मेरा मानना है कि आम तौर पर सभा के दोनों पक्ष भी इस बात से सहमत होंगे कि समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारे बच्चों को इसका फायदा मिले तथा समान अवसर का लाभ मिले। यह रातोंरात तो नहीं हो सकता परंतु शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को आत्म-सम्मान का जीवन जीना सिखाया जा सकता है साथ ही वे विकास की प्रक्रिया में भी भागीदार हो सकते हैं। अत: हमारी प्रतिबद्धता न केवल प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा के विस्तारण के लिए है बल्कि हम उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए भी कटिबद्ध है। इसका कारण यह है कि हम एक ज्ञान-सघन विश्व अर्थव्यवस्था में रहते हैं और जब तक कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती है तब तक हम पिछड़े रहेंगे। महोदय, यही बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गयी है। यह बताया गया है कि हम किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में योजना बना रहे है और हमने कौन से कदम उठाए हैं।

कुछ देर पहले माननय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर देते समय समाज के गरीब तबकों तक स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने की दिशा में इस सरकार को उपलबिधयों का उल्लेख किया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम बाल मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर में अपेक्षित कमी लाने में सफल हुए हैं। यह कोई लघु-कालिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय लगेगा। परंतु मेरी समझ से आज हमारे पास जितने डाक्टर, जितनी नर्सें और जितने विशेषज्ञ हैं, उनकी संख्या पिछले चार वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। अत: मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया का अनुपालन करते-करते हम निश्चित रूप से अपने बच्चों और देश की महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार ला पाएंगे। यही अपेक्षित भी है।

हमें यह भी मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे भूमिहीन मजदूर हैं जिनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यद्यपि, कृषि के जरिए श्रमिकों को रोजगार मिलता है लेकिन कृषि कार्य में अक्सर वर्ष में ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई काम नहीं होता है। अत: हमें कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे हम रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अत्यधिक गरीबी को कुछ कम किया जा सके। इसी कारण सौ दिनों की एक राष्ट्रव्यापी रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है। मैं यही नहीं कहता कि केवल इसी एक काम से गरीबी दूर हो जाएगी परंतु मेरा यह मानना है कि इस योजना को यदि ईमानदारी और कुशलता से कार्यान्वित किया जाए तो इससे अवश्य ही कुछ हद तक गरीबी को कम किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने अब न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। यदि सौ दिनों का काम उपलब्ध है तो प्रत्येक परिवार को, चाहे उसमें केवल एक ही कमाऊ सदस्य हो, 8,000 रुपए प्रतिवर्ष पाने का अधिकार होगा। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि इससे सामाजिक और आर्थिक स्तर की दृष्टि से निम्नतम तबकों की स्थिति में कुछ सुधार हो सके।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि विकास के फल हमारी आबादी के सभी तबकों तक पहुंचे तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज के दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रियाओं से पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अत: हमने कार्य-योजनाएं बनायी हैं। कुछ कार्य योजनाएं तो पहले भी थी, हमने उनका विस्तार किया है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के विस्तार कार्य में हम उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या अधिकतम हैं।

विपक्ष के माननीय नेता ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात कही है। मैं इस आरोप को नहीं मानता हूं। यह तो हमारी आबादी के सुविधाओं से वंचित तबकों के सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि सरकार में इस बात को समझने की हिम्मत है कि हमारे अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रियाओं से समुचित लाभ प्रापत नहीं हुए हैं और इसलिए अब समय आ गया है जब हम उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात मान नहीं रहे हैं। यदि आपको कुछ कहना है और यदि सहमत हों तो मैं अंत में अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कम-से कम देश के प्रधानमंत्री के प्रति तो हमें सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे माननीय विपक्ष के नेता पूरा सम्मान पाने के अधिकारी हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी पूर्ण सम्मान पाने के अधिकारी हैं।

डा. मनमोहन सिंह : अत:, हम अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, हम विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों के बीच की खाई तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह सशक्तीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। यह समावेशी विकास की प्रक्रिया का सार है। वाद-विवाद में अल्पसंख्यकों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में कुछ समस्या रही है, परंतु कुल मिलाकर इस सभा के सभी तबकों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि समावेशी विकास सहभागी लोकतंत्र का सार है, यह हमारी परम्परा, मूल्यों जो कि हमारे शानदार संविधान में निहित हैं का एक अक्षुण्ण भाग है। सरकार ने समावेशी विकास कार्य को आगे बढ़ाया है और मेरी समझ से यह हम सभी के लिए संतोष का एक विषय है।

महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्पूर्ण परिदृश्य सुहावना है। हमने भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के लिए आवंटन में वृद्धि की है। हमने जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के तहत शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और शहरी अवसरंचना के लिए भारी राशियों का आवंटन किया है परंतु यह समझना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार केवल आवंटन बढ़ा सकती है, राज्यों को मार्गनिर्देश दे सकती है, परंतु भारत राज्यों में बसता है और इसलिए समावेशी विकास के इस कार्यक्रम को पूर्ण सदाशयता से लागू करने की संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्यों की है। हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और वह प्रतिबद्ध भी है। आज इस सभा में ऐसी अनेक पार्टियों का प्रतिनिधित्व है जो राज्यों में शासन कर रही है। अत: मैं समझता हूं कि यह आसानी से कहा जा सकता है कि इस सभा के सभी राजनैतिक दलों के अधिकाधिक सक्रिय सहयोग के बिना हम देश के लिए आवश्यक इस समावेशी विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। अत: इस सभा के सभी वर्गों से मेरी अपील है कि वे भारत को मिले इन महान अवसरों की कद्र करें। मैंने अक्सर कहा है कि संसाधनों की कमी आज हमारे देश के लिए समस्या नहीं है। हमने गत चार वर्षों में दिखा दिया है कि किस प्रकार कर-राजस्व बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए मैं अपने मित्र माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस प्रकार हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर अधिकाधिक धन खर्च कर पाए हैं। हमने यह भी दिखा दिया है। यदि इच्छाशक्ति हो तो सरकारी तंत्र के कार्यकरण में भी सुधार लाया जा सकता है। जिस शानदार तरीके से मेरे मित्र माननीय रेल मंत्री ने रेलवे के राजस्व का प्रबंधन किया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, मेरा इस सभा के सभी वर्गों से अनुरोध है कि जब विकास की बात हो तो हमें अपने दलगत मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। आज, एक ही पीढ़ी के दौरान गरीबी का उन्मूलन करना संभव हो गया है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होती रही तो हम 7-8 वर्षों के दौरान अपनी आय दोगुनी कर लेंगे। विकास संवर्धन कार्य योजनाओं के साथ-साथ यदि हम अपने बच्चों की शैक्षिक स्थिति और महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार हेतु कार्यक्रमों को चलायेंगे तो निश्चित ही गरीबी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें अपने इस महान देश की अकूत संभावित क्षमता का दोहन करने हेतु इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

महोदय, मैंने इस बात से शुरूआत की थी कि हम सभी अपने किसानों के हितों के विषय में सहमत हैं और हम समग्र विकास की ओर बढ़े या न बढ़े, कृषि हमारा एक प्रमुख निर्धारक घटक है। मैं यह कभी भी नहीं कहूंगा कि कृषि की वर्तमान स्थिति अच्छी है। जब हम 2004 में सत्ता में आए थे तो उस समय कृषि की स्थिति अत्यंत दुखद थी। 2004 में हमें कृषि ऋणों की पुन:संरचना करनी पड़ी और पुन: 2006 में हमें यही काम ऋणग्रस्त जिलों के लिए करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? यदि आप वर्ष 1980-81 से लेकर वर्ष 1996-97 के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि भारतीय कृषि में 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है।

1996-97 के बाद तथा वर्ष 2003-04 तक के वर्षों में राजग की सरकार थी। इस दौरान कृषि की विकास दर 2.3 प्रतिशत तक गिर गई।...*(व्यवधान)* राजग शासन के दौरान राष्ट्रीय आय के शेयर में कमी आई और कृषि निवेश में भी कमी हुई।

आज हमारे विपक्ष के सहयोगी किसानों के हितों के बात करते हैं वे अपने शासन के दौरान किसानों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रहे थे। 1991 से 1996 के कांग्रेस शासन के दौरान जहां कृषि व्यपार में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई वहीं राजग शासन के दौरान कृषि व्यापार में तथा किसानों को दिए जाने वाले कृषि उपज के मूल्यों में गिरावट आई। उस समय किसानों के लिए चिंता कहा थी? आप खरीद मूल्य देखिए। पांच वर्षों में राजग सरकार ने थोड़ा-थोड़ा करके खरीद मूल्य में कुल 50 रुपए की वृद्धि की। आप हमारी सरकार का रिकार्ड देखिए।

अत: मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया जाए क्योंकि श्री अनंत गंगाराम गीते ने इस समस्या का जिक्र किया है। वर्ष 1999-2000 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपए प्रति क्विंटल था। पिछली सरकार अर्थात् राजग सरकार ने 10 रुपए की छोटी-छोटी किश्त में कुल 50 रुपए बढ़ाए जो कि पिछले 5 वर्षों की अवधि में मात्र 8.6 प्रतिशत होता है। हमारी सरकार की पिछले चार वर्षों की अवधि से इसकी तुलना की जाए तो हमने चार वर्षों की अवधि में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 370 रुपए बढ़ाया, जो कि चार वर्षों में 56 प्रतिशत की वृद्धि है। मैं अपेक्षा करता हूं कि श्री ढींडसा कम से कम इसकी प्रशंसा तो करेंगे...*(व्यवधान)*

धान के मामले में भी चार वर्षों की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 प्रतिशत बढ़ाया गया जबकि इसकी तुलना में राजग सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि में बहुत थोड़ी केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के अनुपात में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण जो कि वर्ष 2003-04 में 10.2 प्रतिशत था, हमारे शासनकाल अर्थात् वर्ष 2006-07 में बढ़कर यह 12.5 प्रतिशत हो गया। कई वर्षों के पश्चात् पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत हुई। ऐसे लोग जिन्होंने कृषकों के कल्याण की अपेक्षा की, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि व्यापार की अवधि को कम किया, जिन्होंने अतिरिक्त खाद्यान्न का घाटा उठाकर निर्यात किया, उन्हें कृषकों के कल्याण की वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह बात स्वीकार कर चुकी है कि किसानों की समृद्धि के बिना भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। मैं बचपन में पढ़े हुए ओलिवर गोल्डस्मिथ के शब्दों को याद करता हूं–

"इल फेयरस द् लैंड, टू हेसनिंग इल्स ए प्रे,
वेयर वेल्थ एक्युमुनेट्स, एंड मैन डिके;
प्रिन्सेज एंड लार्डस में फ्लारिश, ओर में फेड;
ए ब्रेथ कैन मेक दैम, एज ए ब्रेथ हैज मेड;
बट ए बोल्ड पीजेंटरी, दियर कन्ट्रीज प्राइड;
वैन वन्स डिस्ट्रायड कैन नेवर बी स्पलाइड।"

अध्यक्ष महोदय, निर्भीक किसान की पीड़ा के कारण ही संप्रग सरकार सत्ता में आई, जबकि उस समय राजग सरकार "इंडिया शाइनिंग" की बात कर रही थी। यह पीड़ा राजग शासन की विरासत है, यह एक ऐसा शासनकाल था जिसके दौरान किसान विरोधी, कृषि विरोधी नीतियां बनी...*(व्यवधान)* कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमारे किसान और गरीब हुए। श्री ढींडसा को यह बात पता होनी चाहिए...*(व्यवधान)* उन्हें नए ऋण की आवश्यकता थी। हमारे द्वारा ऋण प्रवाह को तिगुना करने से भी उनकी पिछले ऋण की भरपाई नहीं हो पाई।

हमारे द्वारा घोषित ऋण राहत, राजग सरकार के कार्यकाल में किसानों के कंधों पर लदे बोझ को अतत: हटाने का प्रयास है। हम कृषि क्षेत्र की पीड़ा को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब तक सभी किसानों के आसूं नहीं पोछ दिए जाते हैं, तब तक हम अपना कार्य जारी रखेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इसी कारण से हमारी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर किसानों के ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। जबकि इतने बड़े पैमाने पर ऋण राहत प्रदान करने का प्रयास पहले कभी नहीं किया गया। यह एक तरह से अभूतपूर्व पैमाने पर आय का हस्तांतरण है। यदि औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसाय में दिवालयान अनुमेय है तो इस ऋण माफी में क्या अनुचित है। इससे किसानों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। इससे बैंकरों के तुलन पत्र व्यवस्थित हो सकेंगे। इससे ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और मैं इस बारे में कोई माफी नहीं मांगूगा...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया उनकी बात ध्यान से सुनें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वह 60,000 करोड़ रुपए कहां हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। उन्हें जवाब देने दें। उन्हें जवाब देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। जब बजट पर डिस्कशन होगा, उस समय आप लोग इसके बारे में बोलिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान दिखाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। यह बजट में किया गया है और आप बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे उचित तरीके से उठाना चाहिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। जब तक उनकी बात समाप्त नहीं होती किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है? आप प्रधानमंत्री की बात में व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बताया है कि ऋण राहत की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें सभी अनुसूचित, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। इसमें उत्पादन और प्रत्यक्ष निवेश ऋण दोनों शामिल हैं। यह केवल गैर-निष्पादनकारी अस्तियों के बारे में ही नहीं है। यह बकाया राशि के बारे में भी है। इससे चार करोड़ कृषिकों को लाभ होगा। ऋण राहत एक सरल प्रक्रिया है। जो कि जून माह तक पूरी कर ली जाएगी। यह कोई दीर्घ अवधि तक चलने वाला कार्य नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि संस्थागत ऋण की परिधि से बाहर वाले कृषकों को इस ऋण माफी से लाभ नहीं होगा। उनके लिए हमने वर्ष 2004 से वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान का बैंक खाता खोला जाएगा और उसे संस्थागत ऋण लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2004 में, हमारे सत्ता में आने के लगभग एक माह बाद हमने एक योजना स्वीकार की थी जिसके अंतर्गत जिन किसानों पर साहूकारों का ऋण है वे उस ऋण को समाप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास जा सकते हैं और साहूकारों के ऋण के विकल्प के रूप में संस्थागत ऋण ले सकते है। यह योजना अभी भी चल रही है। इस योजना से आंध्र प्रदेश के भी बहुत से किसान लाभान्वित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : ऐसा मत कीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक नहीं है। आप लगातार टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते। मुझे उसका खेद है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि यह गुमराह करने वाला है तो विशेषाधिकार की सूचना दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि यह ठीक बात नहीं है। आप उनसे लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वे सहमत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप यहां लगातार प्रश्न पूछना जारी नहीं रख सकते। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से संबंधित माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? आप इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप लंबे समय से यहां हैं। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण समाप्त करेंगे। यह क्या हो रहा है। श्री अनंत कुमार जी यह बहुत अनुचित है। मैं केवल यही कह सकता हूं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पहले उनकी शाउटिंग ब्रिगेड को बिठाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप तो शांत रहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां खड़े मत होइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है। मुझे बहुत खेद है। यह बहुत दुखद घटनाक्रम है।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : हम केवल यह कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री अनंत कुमार जी, आप नियम पुस्तिका देखिए। यदि वे गुमराह कर रहे हैं तो आप विशेषाधिकार की सूचना दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते रहेंगे। आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से नहीं पूछ सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा फिर, आप चिल्लाते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, हम चिल्ला नहीं रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जी अपना भाषण पूरा करेंगे और चले जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य करने का तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. बब्बर, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े दुख की बात है।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री महोदय, अपनी बात जारी रखिए।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जो सद्भावना दर्शाई है, उससे किसानों के प्रति और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को उसका सही स्थान पुनः दिलाने की हमारी इच्छा का पता लगता है।

महोदय, श्री आडवाणी जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आने वाला है। इस ऋण माफी के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में संदेह प्रकट किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं विपक्ष के माननीय नेता जी यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने केवल राजग सरकार द्वारा छोड़ें गए और भुगतान न किए गए बिलों को ही लिया है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पैकेज के लिए धन का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जबकि किसानों

को इस राहत पैकेज के लाभ तुरंत मिल जाएंगे, बैंकों को इन ऋणों के देय होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उत्पादन और निवेश ऋण सहित बैंकों का ऋण तीन से चार वर्षों से देय होगा...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप तब तक यहां नहीं रहेंगे ...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह : हम इस अवधि के दौरान कर और गैर-कर राजस्व से इस पैकेज को वित्त-पोषित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान कर देंगे...*(व्यवधान)* इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ेगा और तरलता की कोई समस्या नहीं होगी...*(व्यवधान)*

जैसाकि वित्त मंत्रीजी ने इस सभा से अनुरोध किया है कि हमें इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु समूची सभा के पूरे समर्थन की आवश्यकता है। हमें किसानों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उनका हक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय बहुत से सदस्यों ने महंगाई की समस्या का उल्लेख किया है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यदि महंगाई की दर 4 से 5 प्रतिशत की सहनीय सीमा से ऊपर चली जाए तो इस देश की प्रत्येक सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह उसके बारे में चिंता करे...*(व्यवधान)* मैं इस प्रतिष्ठित सभा में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे सम्मुख उपस्थित परिदृश्य और परिस्थितियों की तुलना में मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। जब, राजग सरकार...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, प्रत्येक बात के लिए राजग से तुलना की जा रही है। यह क्या है?...*(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है। आप अवश्य ही इसे प्रकट कीजिए, परंतु अभी नहीं। आप बाद में इसे व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में बजट पर चर्चा होने वाली है। आप उस समय यह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले उनकी बात सुन लेते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्वाभाविक है कि इस पर आम सहमति नहीं हो सकती परंतु अपने विचार व्यक्त करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निष्ठापूर्वक अनुरोध करता हूं कि हम उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष जैसे विशिष्ट व्यक्ति भाषण दे रहे हों तो हमें पूरी तन्मयता से और बिना व्यवधान उत्पन्न किए उनकी बात सुननी चाहिए। दोनों को सभा में इसका हक है। मैं आपसे इस बात के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : हम सिर्फ यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। श्री अनंत कुमार जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप यह जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधानमंत्री को इस सभा में बोलने नहीं दिया जाएगा।?

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वे राजग का उल्लेख कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है और आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपने संपग्र की आलोचना की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत अप्रसन्न हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रधानमंत्री जी की टिप्पणियों को ही नोट किया जाए और बिना अनुमति के और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएग्रा।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस बात की पृष्ठभूमि का उल्लेख कर रहा था कि एक अवधि विशेष से दूसरी अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति की दर क्यों बदल जाती है। जब राजग की सरकार सत्ता में थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सबसे कम थी। हम वर्ष 2004 में सत्ता में आए और तेल की कीमत प्रति बैरल 36 अमरीकी डॉलर थी; आज यह लगभग 100 अमरिकी डॉलर है। राजग सरकार ने किसानों को देय कीमतों को कम करके कीमतों में थोड़ी स्थिरता बनाए रखी है। हम उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते कि... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विचित्र बात है। आप क्या कर रहे हैं? मैं नेता प्रतिपक्ष से अपील कर रहा हूं क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे नहीं पता कि श्री अनंत कुमार जी आपको क्या हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है? आज आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर मुझे आश्चर्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान के दौरान के एक भी शब्द को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मुझे आपको व्यवधान न डालने के लिए कहना पड़ेग्रा। यदि आप उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका यहां रहने की जरूरत नहीं है; आप जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी इसमें सम्मिलित न होइए। आप भी इसमें सहयोग क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : हम उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन हम उस तथाकथित मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में सहयोगी नहीं होंगे, जिससे हमारे किसानों को देय मूल्यों की अनदेखी होती हो। उचित मूल्य स्थिरता के प्रति हमारी वचनबद्धता, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। पिछले चार वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तीन गुणा से ज्यादा बढ़

गई है लेकिन हमने मिट्टी के तेल का दाम नहीं बढ़ाया है। हमने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मामूली वृद्धि की है। इन चार वर्षों के दौरान हमने किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले उर्वरक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर, किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे व्यवधान पैदा करेंगे, तो मैं क्या करूं? फिर मैं क्या कर सकता हूं। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो आप हमेशा आपत्ति करते हैं और परस्पर सहयोग नहीं करते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या गलत बोल रहे हैं। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन चार वर्षों में लागत बढ़ने के बावजूद किसानों द्वारा दी जाने वाली उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ायी हैं। हमने नहीं बढ़ाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं कि आप इस सभा को कैसे चलाना चाहते हैं। यह संसदीय प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जिस पर सरकार के प्रधान द्वारा जवाब दिया जा रहा है। आप सुनने को तैयार नहीं हैं और बीच-बीच में टिप्पणियां करते जा रहे हैं और उनसे प्रत्येक वाक्य की व्याख्या करने को कह रहे हैं। सभा में काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। यदि आप प्रधानमंत्री जी की बात सुनना नहीं चाहते, तो मैं उनसे अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध कर दूं।

(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : वे इस तरह हुक्म नहीं चला सकते।

अध्यक्ष महोदय : बीच में टोका-टोकी रोकी जानी चाहिए।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को अच्छी कीमत दी है। लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति हमारी वचनबद्धता के उपाय के रूप में हमने इन अंतिम चार वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से बीच या गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह अतुलनीय रिकार्ड है और मैं समझता हूं कि इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। यह अपने आप में कीमतों को स्थिर बनाए रखने तथा हमारे समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की गंभीरता और वचनबद्धता को दर्शाने के लिए काफी है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य के बावजूद हम उचित मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। आज वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं; आयातित खाद्य तेलों की कीमतें आकाश छू रही हैं; आयातित खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे, कि हमारी जनसंख्या के कमजोर वर्गों को विदेशों से आने वाली इन विपत्तियों से कोई हानि न हो।

महोदय, श्री आडवाणी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख किया और मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरे लिए यह बहुत ही दु:ख की बात है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के प्रति गंभीर है। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में हमने व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को किसी परामर्शतंत्र के बारे में जानकारी है, जिसे हमने स्वीकार किया है। हमें इससे सफलता नहीं मिली है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह भी एक वचनबद्धता है। अब नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात कही है; अब हमारे सी.पी.आई. (एम) के सहयोगी भी यह बात कह रहे हैं, इसलिए, मैं एक बार पुन: व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम इस दिशा में भी आगे बढ़ सकें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न की जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी जी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। आतंकवाद और विभिन्न प्रकार के आतंकवादी समूहों से निपटने में हमारी सरकार के कार्यनिष्पादन के बारे में श्री आडवाणी जी ने कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष को गलत साबित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है और इन बातों से बहुत ऊपर है। मैं इस सभा को भरोसा दिलाता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारा संकल्प दृढ़ है। भारत काफी समय से आतंकवाद को झेल रहा है। मुझे सभा को 2001 के उस काले दिन की इस घटना को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे सुरक्षा और वॉच एंड वॉर्ड कर्मचारियों की सजगता के कारण एक बहुत बड़े खून-खराबे को रोका जा सका था। मैं यहां एन.डी.ए. सरकार की विफलता को उजागर नहीं करना चाहता हूं। मैं सदस्यों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक खतरनाक... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

डा. मनमोहन सिंह : मैं सदस्यों को केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद हमारे सामने एक बड़ा खतरा है तथा हमें सदा सजग रहना होगा ताकि हम आतंकवादियों की योजनाओं को विफल कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों तथा श्री एल.के. आडवाणी ने हाल ही के कुछ आतंक की घटनाओं के बारे में हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा जानना चाहा। मुंबई विस्फोट जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था इस मामले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना में सिनेमाघर के विस्फोट में दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में सी.आर.पी.एफ. कैम्प में हमला तथा उत्तर प्रदेश के न्यायालय में हुए विस्फोटों के संबंध में भी गिरफ्तारियां की गई हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूं। नागपुर में आर.एस.एस. मुख्यालय सहित विफल किए गए हमलों का मैं ब्यौरा दे सकता हूं। हमारी सरकार अन्य किसी भी प्रजातंत्रीय सरकार की तरह अतिवादियों और आतंकवादियों को हराने के प्रति दृढ़ संकल्प है। हमारी बहु-पक्षीय रणनीति से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में काफी कमी आई है तथा आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। मैं बताना चाहता हूं कि आतंक के विरुद्ध युद्ध जीतने में काफी समय लगेगा। हम आतंक के खिलाफ जरा भी ढील देने के विरुद्ध हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने आतंकवाद संबंधी कानून को उदार बनाया है। इस झूठ का हर हाल में खंडन किया जाना चाहिए। कानूनी प्रावधानों से आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता है। यदि ऐसा होता तो अक्षरधाम और रघुनाथ मंदिर पर हमले ही नहीं होते। कठोर कानून भी आई.सी.-814 के अपहरण को नहीं रोक सके। सच्चाई यह है कि इस घटना ने यह संकेत दिया है कि यदि आतंकवादी ठोस इरादे के हैं तो क्या सरकार उनके आगे घुटने टेक देगी। हमें वह दिन भी देखना पड़ा जब तत्कालीन विदेश मंत्री ही कट्टर आतंकवादियों को छोड़ कर आए।

अध्यक्ष महोदय, हल्ला मचाने से आतंक पर नियंत्रक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षमता से निगरानी तथा आसूचना की आवश्यकता होती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल ऊंचा है तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे चुनौतियों का सामना करने हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार : आप अफजल के बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कमेंट कीजिए बाद में बताएंगे।

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह : महोदय, विदेश नीति के बारे में कुछ कहना है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। हमारे समक्ष अपने बाहरी वातावरण को इस प्रकार बनाने की भी चुनौती है ताकि यह हमारे दीर्घकालीन और सतत आर्थिक विकास के अनुकूल हो। हम अपने सभी पड़ोसियों, सभी बड़ी ताकतों और अपने सभी आर्थिक सहयोगियों के साथ परस्पर लाभ के रिश्ते कायम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य हेतु हम सभी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं तथा विश्व भर में मित्रता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम इस दिशा में हर संभव प्रयास

कर रहे है ताकि परमाणु ऊर्जा का अधिकतम शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत से संबंधित विशेष सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अगली कार्यवाही हेतु हम देश में अधिक से अधिक सहमति बनाने हेतु भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा विचार है कि इस प्रकार का सहयोग हमारी ऊर्जा सुरक्षा और विश्व के लिए लाभदायक है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खुशी हुई जब कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा ने खुल कर परमाणु सहयोग समझौते का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त महोदय, श्री स्ट्रोब टेलबोट जिन्होंने इस बारे में एनडीए सरकार के साथ वार्ता की थी, ने कहा कि एनडीए सरकार वर्तमान समझौते के पचास प्रतिशत के लिए भी तैयार थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नहीं रोकूंगा आप सही समय पर अपनी बात कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कमेंट कीजिए, हम मना नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सही समय पर अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने पड़ोसियों के प्रति हमारी नीतियों के बारे में कुछ कहना है। हमारे पड़ोसी देश हमारी पहली प्राथमिकता हैं। हम दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संपन्नता चाहते हैं।

सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी तरह लोकतंत्र का रास्ता चुना। मुझे विश्वास है कि सभा उन्हें बधाई देने में मेरा साथ देगी क्योंकि ऐसा कर उन्होंने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की एक महान बेटी को इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था। बेनजीर भुट्टों की मृत्यु पर हमें अत्यंत दुख हुआ है। पाकिस्तान के लोगों ने चुनाव के द्वारा के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

महोदय, मैं पाकिस्तान के नव निर्वाचित नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है। मैंने अनेक बार कहा है कि हमारे देशों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें अतीत को भुलाना होगा। हमें अपने साझे भविष्य, सुरक्षा और संपन्नता के बारे में सोचना होगा।

पाकिस्तानी चुनाव के बाद पहली घोषणा में भी वहां के मुख्य दलों के नेताओं ने भी हमारे साथ नजदीकी रिश्ता कायम कर स्थायी शांति के लिए इच्छा जताई है। दिवंगत बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे तो पाकिस्तान के साथ वार्ता आरंभ की गई थी।

शांति स्थापित करने का सबसे बड़ा कदम प्रधान मंत्री नावज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया था। मेरा विश्वास है कि दोनों देशों में यह सहमति है कि स्थायी शांति हेतु हमें नजदीकी रिश्ते तथा आपसी सहयोग अवश्य ही स्थापित करना चाहिए।

मुझे आशा है कि पाकिस्तान के नव निर्वाचित नेता इस दिशा में हमारे साथ शीघ्र ही आगे बढ़ेंगें। मुझे विश्वास है कि यह सभा भी चाहेगी कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए तथा उनके साथ दोस्ती बढ़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था किर यह सरकार नेतृत्वहीन और दिशाहीन है और सरकार में दृढ़ संकल्प और निर्णायक क्षमता होनी ही चाहिए। मुझे नहीं पता की हमारी सरकार के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों किया उजा रहा है। श्री आडवाणी जी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसी बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। वे गलत साबित हुए हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

न खंजर उठेगा, न तलवार चलेगी, ये मेरे बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे जैसे लोगों के लिए इसे अंग्रेजी में कहें।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत चार वर्षों में हमने देश की जिस दिशा में प्रगति की है उसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्पष्ट वर्णन किया गया है। देश ने समावेशी विकास की दिशा में प्रगति की है; समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को अधिकार

[डा. मनमोहन सिंह]

देने की दिशा में प्रगति की है। यह इस महान देश के प्रत्येक नागरिक में सहज उद्यमिता और सृजनात्मकता का विकास करने की दिशा में है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। यह सबको साथ लेकर चलने और गरीबी, अज्ञानता और रोग का उन्मूलन करने की दिशा में है। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में है। मुझे आशा है कि अब दिशा बिल्कुल साफ है, जिससे कि सभी देख सकें।

नि:संदेह मुझे मालूम है कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि यह सरकार गिरे और जब से हम सत्ता में आए हैं तभी से उनकी यह इच्छा चली आ रही है। यह उनका दुर्भाग्य और राष्ट्र का सौभाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ है। परंतु महोदय, इतने पसंदीदा अपने आसानी से नहीं टूटते हैं। इसलिए, वे ऐसे ख्यालों में रहते हैं, जहां कोई नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, भविष्य भारत की ओर संकेत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी राष्ट्रीय दलों के नेता एक ऐसा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं जो हमारे विकास के विकल्पों को व्यापक बनाए। मैं राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों के लिए प्रतिबद्धता चाहता हूं। हमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों पर संकीर्ण संदर्श अपनाकर अपने आपको नहीं बांटना चाहिए। इस वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभावक में ऐसे ही संदर्श का उल्लेख है। इसलिए, मुझे संसद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हार्दिक आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने का निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे। चूंकि विपक्ष के माननीय नेता कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि यह संभव है, तो आप एक-एक करके बोल सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, जो कुछ अभी-अभी कहा गया है, उसके आधार पर मेरे मन में कई प्रश्न पूछने का प्रलोभन हो आया है। परंतु मेरे विचार से विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है। इससे भी बढ़कर मेरा विचार है कि राजग सरकार के कार्यनिस्पादन के बारे में विशेषकर किसानों आंतरिक सुरक्षा से निपटने और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के संबंध में की गई टिप्पणियां पूर्णत: असत्य और निराधार हैं। आप राजग सरकार की सफलता का श्रेय उस कदम को दे रहे हैं, जिसका इन सभी छह-आठ वर्षों में किसी ने कभी सुझाव भी नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नाजुक मुद्दा एक ऐसा प्रश्न है कि यह सरकार संसद पर हमले की साजिश रचने वाले व्यक्ति से कैसे निपटी है। उन्होंने अफजल के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान क्यों नहीं किया गया है इसलिए प्रधानमंत्री के इस भाषण के विरोध में मैं चाहूंगा कि विपक्ष बहिर्गमन करे।

अपराह्न 01.13 बजे

इस समय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, यह बहुत अनुचित बात है कि विपक्ष के नेता चले गए हैं। जब उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि उन्हें प्रश्न पूछने का प्रलोभन हो रहा है तो मेरा मानना है कि इस आयु में प्रलोभन अच्छी बात नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बोलिए। आप लोग शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के विदर्भ के जो कॉटन ग्रोअर किसान हैं, जिनकी आत्महत्या को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला और अंतत: सरकार को कर्जा माफी के लिए बाधित होना पड़ा। उस कर्जा माफी के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी बजट पर चर्चा शुरू होनी है, आप बजट में बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, अभी प्रधान मंत्री जी सदन में हैं। जो कर्जा माफी का पैकेज डिक्लेअर किया गया है। उसका लाभ विदर्भ के कॉटन ग्रोअर्स को नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, विदर्भ के श्री विलास मुत्तेमवार सदन में बैठे हुए हैं

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।